

29/7/24

पत्रावली जिसे उई। वाही अधिवक्ता  
उपरा आदेशिका दिनांक 11/08/2023 के  
अनुसार वाही की प्रतिवादीगणी पर  
समाप्त के लिए रजिस्ट्रार तलबीयतवापीगणी  
था। परन्तु लगभग एक वर्ष व्यतीत हो  
जाते के उपरान्त भी वाही द्वारा प्रतिवादीगणी  
के समाप्त के लिए रजिस्ट्रार तलबीयतवापीगणी  
की गई। बावजूद इसके वाही रजिस्ट्रार  
तलबीयतवापीगणी के एक वर्ष के अविफल  
रहने के कारण वाही का वाद आदेश 09  
मिमात्र 02CR के तहत पेशवापीगणी  
होने से वारिष्ठ किमा गाराई।  
पत्रावली के लिये सुमात्र होकर दर्ज नगर  
के वाद होकर दाखिल अमर हो।

सहायक अधिवक्ता  
जयपुर शहर प्रभाग